

भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या रपिर्त 2021: NCRB

प्रलिस के लयः

राष्ट्रीय अपराध रकॉर्ड ब्यूरो, NCRB की रपिर्त, राष्ट्रीय और कषेत्रीय आँकड़े ।

मेन्स के लयः

जनसंख्या और संबद्ध मुद्दे, NCRB रपिर्त की मुख्य नषिकरष, NCRB की रपिर्त, NCRB के कर्य ।


चरचा में क्यों?

हाल ही में [राष्ट्रीय अपराध रकॉर्ड ब्यूरो \(NCRB\)](#) ने "भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या रपिर्त 2021" जारी की है ।

- रपिर्त में "महिलाओं के खलिाफ अपराध", "आत्महत्या" और "अपराध दर" के आँकड़े दये गए हैं ।


महिलाओं के खलिाफ अपराध

- राष्ट्रीय आँकड़े:
 - महिलाओं के खलिाफ अपराध की दर (प्रति 1 लाख जनसंख्या पर घटनाओं की संख्या) वर्ष 2020 में 56.5% से बढ़कर वर्ष 2021 में 64.5% हो गई ।
 - 31.8%: पतया उसके रशितेदारों द्वारा करूरता,
 - 20.8%: उसकी वनिमरता को अपमानति करने के इरादे से महिलाओं पर हमला,
 - 17.66%: अपहरण,
 - 7.40%: बलात्कार ।




- राज्य:
 - वर्ष 2021 में महिलाओं के खलिाफ अपराध की उच्चतम दर असम में 168.3% दर्ज की गई, इसके बाद ओडशा, हरयाणा, तेलंगाना और राजस्थान का स्थान रहा ।
 - राजस्थान में महिलाओं के खलिाफ अपराध के मामलों की वास्तविक संख्या में मामूली कमी देखी गई है, जबकि तीन अन्य राज्यों (ओडशा, हरयाणा और तेलंगाना) में वृद्धि दर्ज की गई है ।

- वर्ष 2021 में दर्ज मामलों की वास्तविक संख्या के संदर्भ में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है, इसके बाद क्रमशः राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और ओडिशा का स्थान आता है।
- नगालैंड में पछिले तीन वर्षों में महिलाओं के खिलाफ अपराध के सबसे कम मामले दर्ज किये गए।



- **केंद्रशासित प्रदेश:**
 - केंद्रशासित प्रदेशों के वर्ग में **दिल्ली** में वर्ष **2021** में महिलाओं के खिलाफ अपराध की उच्चतम दर **147.6%** थी।
- **शहर:**
 - **जयपुर** में सबसे अधिक 194% से अधिक की दर थी, इसके बाद **दिल्ली**, **इंदौर** और **लखनऊ** का स्थान था।
 - चेन्नई और कोयंबटूर (दोनों चेन्नई में) की दर सबसे कम थी।
 - इन शहरों में वास्तविक संख्या में **दिल्ली वर्ष 2021 (13,892) में सबसे ऊपर है**, उसके बाद मुंबई, बंगलुरु और हैदराबाद का स्थान है।
- **घरेलू हिंसा और दहेज से होने वाली मौतें:**
 - **घरेलू हिंसा अधिनियम** के तहत वर्ष **2021** में देश में केवल 507 मामले दर्ज किये गए, जो महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल मामलों का **0.1%** है।
 - सबसे अधिक मामले (270) केरल में दर्ज किये गए।
 - वर्ष 2021 में दहेज हत्या के 6,589 मामले दर्ज किये गए, जिनमें सबसे अधिक ऐसी मौतें उत्तर और बिहार में दर्ज की गईं।

आत्महत्या दर से संबंधित रिपोर्ट के नषिकर्ष:



■ **दैनिकि वेतन भोगी:**

- वर्ष 2021 में आत्महत्या पीड़ितों के बीच दैनिकि वेतन भोगी सबसे बड़ा पेशा-वार समूह बना रहा, जो 42,004 आत्महत्याओं (25.6%) के लिये जम्मेदार है।
- आत्महत्या से दहिाड़ी मजदूरों की मृत्यु का हिससा पहली बार चतुरथांश आंकड़े को पार कर गया है।
- राष्ट्रीय स्तर पर आत्महत्याओं की संख्या में वर्ष 2020 से वर्ष 2021 तक 7.17% की वृद्धि हुई।
 - हालाँकि, इस अवधि के दौरान दैनिकि वेतन भोगी समूह में आत्महत्या करने वालों की संख्या में 11.52% की वृद्धि हुई।

■ **कृषकक्षेत्र:**

- कुल दर्ज आत्महत्याओं में "कृषकक्षेत्र में लगे व्यक्तियों" की कुल हसिसेदारी वर्ष 2021 के दौरान 6.6% थी।

Professioncategory	2020	2021	% Share in total Suicides in 2021	% Increase in suicides during 2021
Daily Wage Earner	37666	42004	25.6	11.52
Other Persons	20543	23547	14.4	14.62
House wife	22374	23179	14.1	3.60
Self Employed Persons	17332	20231	12.3	16.73
Professional/Salaried Persons	14825	15870	9.7	7.05
Unemployed Persons	15652	13714	8.4	-12.38
Students	12526	13089	8	4.49
Persons Engaged in Farming Sector	10677	10881	6.6	1.91
Retired Persons	1457	1518	0.9	4.19
Total	153052	164033	100	7.17

■ **पेशे के अनुसार वतिरण:**

- 16.73% की उच्चतम वृद्धि "स्व-नयोजति व्यक्तियों" द्वारा दर्ज की गई थी।
- "बेरोजगार व्यक्त" समूह ही एकमात्र ऐसा समूह था जसिने आत्महत्याओं की संख्या में गरिावट देखी, जसिमें वर्ष 2020 में 15,652 से 12.38% की गरिावट के साथ वर्ष 2021 में 13,714 आत्महत्याएँ हुईं।

■ **आत्महत्या के कारण:**

- 33.2%: पारवारिकि समस्याएँ (वविाह संबंधी समस्याओं के अलावा)
- 4.8%: वविाह संबंधी समस्याएँ
- 18.6%: बीमारी

■ **राज्य:**


- वर्ष 2021 में रपिावट की गई आत्महत्याओं की संख्या के मामले में महाराष्ट्र देश में सबसे ऊपर है, उसके बाद तमलिनाडु और मध्य प्रदेश हैं।
 - वर्ष 2021 में देश भर में दर्ज आत्महत्याओं की कुल संख्या में महाराष्ट्र का योगदान 13.5% था।

■ **केंद्रशासति प्रदेश:**

- दलिी में सबसे अधिक 2,840 आत्महत्याएँ दर्ज की गईं।

अपराध दर के लिये रपिावट के नषिकर्ष:

Crime wave | In 2021, crime against children surpassed the pre-pandemic levels after declining in 2020 due to COVID-related restrictions. In 2021, 1.49 lakh such cases were recorded, higher than 1.48 lakh in 2019



■ **परिचय:**

- बलात्कार, अपहरण, बच्चों के खिलाफ अपराध और डकैती जैसे पंजीकृत हसिक अपराध पूरे भारत में वर्ष 2021 में फरि से बढे ।
 - **महामारी संबंधी प्रतर्बिंधों** के कारण **वर्ष 2020 में इन गंभीर अपराधों में कमी आई है ।**
- हत्या के मामलों में वर्ष 2020 में भी कमी नहीं आई थी **जो वर्ष 2021 में भी बढते रहे ।**

■ **अपराध वार आँकड़े:**

○ **बलात्कार के मामले:**

- 13% की वृद्धि (वर्ष 2020 में 28,046) ।
- राजस्थान में वर्ष 2021 में बलात्कार की उच्चतम दर 16.4% थी जो वास्तविक संख्या में 6,337 मामलों के साथ शीर्ष पर रहा है ।

○ **अपहरण:**

- 20% की वृद्धि (वर्ष 2020 में 84,805) ।

○ **हत्या:**

- वर्ष 2021 में 29,272 मामले बढकर 2020 में 29,193 हो गए ।
- उत्तर प्रदेश राज्य में हत्या के सबसे अधिक मामले दर्ज किये गए, उसके बाद बहिर और महाराष्ट्र का स्थान रहा है ।

○ **बच्चों के खिलाफ अपराध:**

- कोवडि से संबंधित प्रतर्बिंध के कारण **वर्ष 2020 में गरिवट के बाद बच्चों के खिलाफ अपराध महामारी पूर्व के स्तर को पार कर गया ।**
- वर्ष 2021 में **49 लाख ऐसे मामले दर्ज किये गए, जो वर्ष 2019 में 1.48 लाख से अधिक हैं ।**
- **केरल, मेघालय, हरयाणा और मज़ोरम** के बाद सक्किम में बच्चों के खिलाफ योन अपराधों की दर सबसे अधिक है ।

■ **कोवडि-19 उल्लंघन:**

- वर्ष 2021 में समग्र अपराधों में गरिवट को "एक लोक सेवक, IPC की धारा 188 द्वारा वधिवित रूप से प्रख्यापति आदेश की अवज्ञा" के तहत दर्ज मामलों में तीव्र कमी के लयि ज़मिमेदार उहराया जा सकता है ।
 - ऐसे मामले मुख्य रूप से **कोवडि-19 मानदंडों के उल्लंघन** को लेकर दर्ज किये गए थे । उन्हें 'अन्य IPC अपराध' और 'अन्य राज्य स्थानीय अधिनियमों' के तहत भी दर्ज कया गया था ।
- IPC की धारा 188 के तहत दर्ज मामलों की संख्या वर्ष 2020 में 6.12 लाख मामलों से लगभग 50% कम होकर वर्ष 2021 में 3.22 लाख हो गई है ।

राष्ट्रीय अपराध रकिॉर्ड ब्यूरो:

■ परिचय:

- नई दिल्ली में NCRB के मुख्यालय की स्थापना वर्ष 1986 में गृह मंत्रालय के तहत अपराध और अपराधियों पर सूचना के भंडार के रूप में कार्य करने के लिये की गई थी ताकि अपराधियों के संबंध में जांचकर्त्ताओं की सहायता की जा सके।
- इसकी स्थापना राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977-1981) और गृह मंत्रालय कार्य बल (1985) की सलाह के आधार पर किया गया था।

■ कार्य:

- ब्यूरो को यौन अपराधियों के राष्ट्रीय डेटाबेस (NDSO) को बनाए रखने और इसे नियमित रूप से राज्यों/केंद्रशासित राज्यों के साथ साझा करने का काम सौंपा गया है।
- NCRB को 'ऑनलाइन साइबर-अपराध रपिपोर्टिंग पोर्टल' के तकनीकी और परिचालन कार्यों का प्रबंधन करने के लिये केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में भी नामित किया गया है, जिस पोर्टल पर कोई भी नागरिक शिकायत दर्ज करा सकता है या चाइल्ड पोर्नोग्राफी या बलात्कार/सामूहिक बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के संबद्ध में सबूत के तौर पर वीडियो अपलोड कर सकता है।
- इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) के क्रियान्वयन की ज़िम्मेदारी भी NCRB को दी गई है।
 - ICJS देश में आपराधिक न्याय प्रदान करने के लिये प्रयोग की जाने वाली मुख्य आईटी प्रणाली के एकीकरण को संकल्पम करने के लिये एक राष्ट्रीय मंच है।
 - यह प्रणाली के पाँच स्तंभों जैसे पुलिस (अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग और नेटवर्क सिस्टम के माध्यम से), फोरेंसिक लैब के लिये ई-फोरेंसिक, न्यायालयों के लिये ई-कोर्ट, लोक अभियोजकों के लिये ई-अभियोजन और जेलों के लिये ई-जेल को एकीकृत करने का प्रयास करता है।

■ प्रमुख प्रकाशन:

- भारत में अपराध
- आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्याएँ
- जेल के आँकड़े
- भारत में लापता महिलाओं और बच्चों पर रपिपोर्ट

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न (PYQs)

प्रश्न. भारत के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में भी महिलाओं का लगानुपात प्रतिकूल क्यों है? अपने तर्क दीजिये। (2014)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernce URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/accidental-deaths-suicides-in-india-report-2021-ncrb>